**<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।**

**नियमित जमानत आवेदन संख्या 258/2026**

**राजू कुमार उर्फ छोटू बनाम बिहार सरकार**

**नूरसराय थाना कांड सं0 81/2026**

**अंतर्गत धारा 3,4,5 Immoral Traffic (Prevention) Act**

**<u>12.03.2026</u>**

दिनांक 13.02.2026 से कारावासित अभियुक्त **राजू कुमार उर्फ छोटू** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक को दिनांक 12.02.26 समय 17:30 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि शिव मैरेज हॉल एवं पैलेस कूट फैक्ट्री, ग्राम मेयार के पास चोरी छिपे देह व्यापार किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचते ही शिव मैरेज हॉल एवं पैलेस से 04–05 लड़का निकलकर खेत से भागने लगा। कुछ पुलिस बल उक्त मैरेज हॉल को घेर लिया गया। उक्त लड़के अंधेरे एवं खेत खंधा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। शिव मैरेज हॉल एवं पैलेस का विधिवत तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में रिसेप्शन काउंटर से तीन महिला एवं एक पुरूष उपस्थित पाया गया। सभी उपस्थित व्यक्तियों से बारी–बारी नाम, पता पूछने पर क्रमशः अपना नाम सुरभि देवी, रेखा देवी, आयुषी कुमारी, राजू कुमार उर्फ छोटू बताया गया एवं उक्त परिसर के कमरों से तलाशी के क्रम में परिसर के उत्तर पूर्व कोने वाले कमरे में पीछे पलंग के गददे के नीचे से मेनफोर्स कंपनी का चार डॉटेड रिंग स्रआबैरी वैनिला फलेवर लिखा हुआ एवं रिसेप्सन काउंटर पर रखे दो हरे रंग का बड़ा रजिस्टर जिसमें उक्त मैरेज हॉल में आने जाने वाले आगंतुकों का ब्यौरा लिखा आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ।जिसे विधिवत जप्ती सूची तैयार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति राजू कुमार से उपस्थिति एवं उददेश्य के बारे में पूछने पर बताया गया कि उक्त शिव मैरेज हॉल एवं पैलेस उनके द्वारा ही बनाया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा इन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदक के विरूद्ध किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य है। उनका यह भी कथन है कि घटनास्थल से किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है । अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है । यह भी विदित होता है कि आवेदक को वहां उपस्थिति मात्र पाया गया है। प्रथम दृष्ट्या आवेदक के विरूद्ध लगाए गए

**न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।**

**नियमित जमानत आवेदन संख्या 258/2026**

**राजू कुमार उर्फ छोटू बनाम बिहार सरकार**

**नूरसराय थाना कांड सं0 81/2026**

**अंतर्गत धारा 3,4,5 Immoral Traffic (Prevention) Act**

**लगातार**

**12.03.2026**

उपरोक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । आवेदक दिनांक 13.02.2026 (करीब 01 माह) से न्यायिक हिरासत में है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000/–रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि **आवेदक के एक जमानतदार उनके करीबी रिश्तेदार होगे।**

(लेखापित एवं संशोधित)

**(संजीव कुमार सिंह )**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।